भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3669

11.08.2025 को उत्तर के लिए

मानव-हाथी संघर्ष

3669. श्री श्रेयस एम. पटेल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में, विशेषकर हासन जिले में मानव-हाथी संघर्ष और इसमें हताहतों के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिले में हाथियों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई वैज्ञानिक आकलन कराया है अथवा इसके लिए सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जिले में हाथियों की वर्तमान अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही के कारण फसलों को हुए नुकसान और आर्थिक क्षति के संबंध में कोई आंकड़े रखे गए हैं और यदि हां, तो प्रभावित किसानों को प्रदान किए गए मुआवजे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार संघर्ष को कम करने के लिए हासन जैसे मानव-बहुल क्षेत्रों से हाथियों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही के लिए सुरक्षित और अबाधित गलियारों की स्थापना करने के लिए किसी समर्पित हाथी गलियारा अनुदान आवंटित करने अथवा किसी मौजूदा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने पर विचार किया है, यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(च) क्या सरकार का हाथियों को मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने के लिए जल स्रोतों में वृद्धि करके, चारा वृक्ष लगाकर और बांस लगा करके वन आरक्षित क्षेत्रों के भीतर आदर्श हाथी पर्यावास बनाने में कर्नाटक की सहायता करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस संबंध में तत्काल कदम उठाने पर विचार करेगी?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) कर्नाटक राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य और हासन जिले में हाथियों के हमले के कारण हुई मानवों की मौत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	हासन में मानवों की मौत की संख्या	कर्नाटक में मानवों की मौत की संख्या
2020-21	5	26
2021-22	5	28
2022-23	4	32
2023-24	4	48
2024-25	6	36

कर्नाटक राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हासन जिले में हाथियों के हमले के कारण फसलों को क्षति और दिए गए मुआवजे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	हाथियों के कारण फसलों को हुई क्षति की संख्या	दिया गया मुआवजा
2022-23	4,285	2,97,38,199
2023-24	3,641	4,07,82,804
2024-25	3,015	3,80,30,188

मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) के शमन और प्रबंधन सहित वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों पर आम जनता को संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग मानव जीवन, संपत्ति और हाथियों को होने वाली क्षति या क्षति को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मानव-वन्यजीव स्थितियों से निपटने के लिए नियामक कार्यों का प्रावधान करता है।

मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, जंगली हाथियों के कारण लोगों की संपत्ति और जान-माल के नुकसान के लिए उन्हें मुआवज़ा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार, हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों के संरक्षण, मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों के समाधान और देश में बंधक बनाए गए हाथियों के कल्याण हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम बाघ और हाथी परियोजना (सीएसएस-पीटीएंडई) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के साथ समन्वय करके भारत में 15 हाथी रेंज राज्यों (नामत: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 150 हाथी गलियारों का जमीनी सत्यापन किया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचित किया है।

*****